रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262805
SG-DL-E-01052025-262805

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 33
No. 133]	DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947	[N. C. T. D. No. 33

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x`g&,Q,l,y foHkkx

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

फा0सं02(128)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/जेएसए(सीएसएमडी)/2024/226– गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार में **कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अपराध स्थल/जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाई)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(i) इन नियमों को **कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अपराध स्थल/जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाई)** फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2025 कहाजाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इन का वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयुसीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पदो ंकी भर्ती पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं एव ंइससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही ंहोगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित मे ंअभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध मे ंइन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :–इन नियमो ंमे ंभारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, ंभूतपूर्व सैनिको ंतथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतो ंपर कोई प्रभाव नही ंपड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अपराध स्थल/जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाई)
2.	**पदों की संख्या**	:	46*(2024) *इसमे ंपरिवर्तन कार्य भार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रुपये 29200–92300/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25*वर्ष के बीच * यदि पदों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयुसीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशो ंअथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**–आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो ंसे अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः–** (क) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/मानव विज्ञान/सूक्ष्मजीव विज्ञान/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान/विषाक्त विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/फोरेंसिक

			विज्ञान में निष्णात उपाधि। **टीप :** योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागूहोगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोइ है**	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 02 वर्ष **टीप :**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति,**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप :–** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी : (क) (i) मूलसंवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूलसंवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमाआवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति :** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह) –अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं) –सदस्य 3. संबंधित वर्टिकल का प्रधान निदेशक/निदेशक–सदस्य 4. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य

			टीप :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितिया ंजिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जानाहै।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार शर्मा, उप–सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2025

No. F.2(128)/FSL/ESTT/RR/JSA(CSMD)/2024/226—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July,1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post **Junior Scientific Assistant (Crime Scene/District Mobile Forensic Unit)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement–

(i) These rules may be called the **Junior Scientific Assistant (Crime Scene/District Mobile Forensic Unit)** Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Assistant (Crime Scene/District Mobile Forensic Unit)	46* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level 5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix	Not Applicable	Between 18 years and 25 years* * In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 Years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB / Competent Authority.	**Essential:** (a) Masters Degree in Zoology / Botany / Anthropology / Microbiology / Chemistry/ Physics/ Toxicology / Biochemistry/ Forensic Science from a Govt. recognized university/ institute. **Note**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years for Direct Recruits **Note**: Direct recruits would be required to successfully	100% by Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee:** 1. ACS/Principal Secretary/ Secretary (Home)-	Not applicable

	complete a mandatory induction Training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation	under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government/ State Government/UTs :- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs. 25500 81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessingthe educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		Chairperson 2. Principal Secretary / Secretary (Services) - Member 3. Principal Director/ Director of the concerned vertical - Member 4. Deputy Secretary (GAD) - Member **Note:** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy.(HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.01 16:24:32 +05'30'